छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर छ.ग.

सेक्टर–24, ऑफिस कैम्पस, ब्लाक 7A, तृतीय तल, अटल नगर रायपुर छ.ग.
फोनः 0771 – 2960539, *Email: cmdc.acount@gmail,com*

निविदा प्रपत्र क्रमांक :– **03/भंण्डार/सीएमडीसी/2021–22, दिनांक 20.01.2022**

किराये पर वाहन

के लिए

निविदा प्रपत्र

निविदा प्रपत्र का मूल्य – रू. 354/– (रूपये तीन सौ चौवन) मात्र

छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड़, रायपुर छ.ग.

सेक्टर–24, ऑफिस कैम्पस, ब्लाक 7A, तृतीय तल, अटल नगर रायपुर छ.ग.
फोनः 0771 – 2960539, *Email: cmdc.acount@gmail,com*

निविदा–सूचना

निविदा प्रपत्र क्रमांक 03 / भण्डार / सी.एम.डी.सी. / 2021–2022

अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन रायपुर के कार्यो में उपयोग हेतु वर्ष 2021–22 के अन्तर्गत वाहन किराये पर लिया जाना प्रस्तावित हैं। अतः पंजीकृत इकाइयों द्वारा निर्धारित प्रपत्र में सीलबंद निविदायें आमंत्रित की जाती हैं :–

क्र.	निविदा प्रपत्र क्रमांक	निविदा का संक्षिप्त विवरण	धरोहर राशि(रु.)
1.	03 / भण्डार / सी.एम.डी.सी. / 2021–2022	किराये पर वाहन लेने हेतु	10,000.00

1. निविदा प्रपत्र वेबसाइट पर दिनांक 20.01.2022 को 11:00 बजे से प्राप्त किये जा सकते हैं।
2. निविदा स्वीकार करने की अंतिम तिथि 04.02.2022 को 3:00 बजे अपरान्ह तक।
3. निविदा खोलने की तिथि 04.02.2022 को अपरान्ह 03:30 बजे।
4. निविदा प्रपत्र प्राप्त करने हेतु इस कार्यालय में **रूपये 354.00** (निविदा प्रपत्र मूल्य 300 + 18% GST) **की निविदा प्रपत्र मूल्य** नगद जमा किया जा सकता है या डिमांड ड्राफ्ट के रूप में छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर के नाम से देय होगा। जो किसी भी परिस्थिति में वापसी योग्य नही होगा। डिमांड ड्राफ्ट किसी राष्ट्रीयकृत बैंक, का होना अनिवार्य है जिसकी शाखा रायपुर में उपलब्ध हो।
5. धरोहर राशि भी उपरोक्तानुसार डिमांड ड्राफ्ट के रूप में स्वीकार की जावेगी। बिना धरोहर राशि के प्रस्तुत निविदा स्वीकार नहीं किया जावेगा। धरोहर राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
6. निविदा खोलने की निर्धारित तिथि को अवकाश घोषित हो जाने पर निर्धारित तिथि आगामी कार्य दिवस हेतु स्वतः बढ़ी हुई मानी जावेगी।
7. सशर्त निविदा अमान्य की जावेगी। प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड रायपुर छ.ग. को किसी भी निविदा अथवा सभी निविदाएँ स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार रहेगा एवं किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। किसी भी प्रकार के पोस्टल विलम्ब के लिये कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।
8. निविदाकार विभाग की वेबसाईट ***www.cmdc.co.in*** से निविदा प्रपत्र डाउनलोड कर निविदा में भाग ले सकेंगे तथा ऐसे निविदाकारों को उपरोक्त पैरा 4 में किये गये उल्लेख के अनुसार निविदा के साथ निविदा प्रपत्र मूल्य रूपये 354/– डिमांड ड्राफ्ट निविदा प्रस्तुत करते समय जमा करनी होगी।

प्रबंध संचालक
छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट
कार्पोरेशन लि. रायपुर
छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड़, रायपुर छ.ग.

सेक्टर–24, ऑफिस कैम्पस, ब्लाक 7A, तृतीय तल, अटल नगर रायपुर छ.ग.

फोनः 0771 – 2960539, *Email:* cmdc.acount@gmail,com

किराये पर वाहन उपलब्ध कराने हेतु निर्धारित नियम एवं शर्तें

1. निविदाकर्ता के पास स्वंय के नाम से कम से कम 3 वाहन अच्छी कंडीशन में होना अनिवार्य है। वाहन 3 साल से पूर्व का नहीं होना चाहिए तथा वाहन के संबंध में शिकायत एवं अच्छी स्थिति में नहीं पाये जाने पर तत्काल हटा दिया जायेगा एवं भुगतान रोक दिया जायेगा।
2. वाहन का पंजीकरण पंजीकृत कंपनी/फर्म/को–ऑपरेटिव सोसायटी के नाम पर होना चाहिए। व्यक्तिगत नाम पर पंजीकृत वाहन को निविदा अन्तर्गत किराया पर किसी अन्य व्यक्ति/फर्म द्वारा उपलब्ध कराने पर संबंधित व्यक्ति से वाहन किराये पर लगाने हेतु घोषणा पत्र दिया जाना होगा।
3. वाहन के समस्त कागजात टैक्सी कोटे एवं परिवहन विभाग के नियमानुसर होना अनिवार्य होगा। वाहन का रोड टैक्स/बीमा/सेवा एवं अन्य सभी प्रकार के शुल्क आदि का भुगतान वाहन मालिक द्वारा किया जायेगा। वाहन का रोड टैक्स एवं बीमा (कम्प्रेहेन्सिव) अद्यतन होना चाहिए।
4. सफल निविदाकार की अमानत राशि को सुरक्षा निधि के रूप में जमा रखा जावेगा और निविदा की अवधि संतोषप्रद ढंग से समाप्ति के बाद वापस की जावेगी। उक्त राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जावेगा। अन्य निविदाकारों की अमानत राशि, सफल निविदाकार द्वारा अनुबंध निष्पादित करने के उपरांत वापस कर दी जावेगी।
5. वाहन चालक का वेतन एवं अन्य व्यय संबंधित वाहन मालिक द्वारा देय होगा। वाहन चालक अवकाश या अस्वस्थ होने पर वाहन मालिक को तत्काल दूसरे अहर्ता प्राप्त वाहन चालक की व्यवस्था करना होगा।
6. वाहन के मरम्मत रख–रखाव एवं समस्त अन्य खर्चे वाहन मालिक द्वारा देय होगा। वाहन खराब होने पर मरम्मत रख–रखाव हेतु तथा मालिक द्वारा वाहन वापस लिये जाने की स्थिति में वाहन मालिक द्वारा दूसरे वाहन की व्यवस्था करनी होगी। वाहन चालक को पर्याप्त राशि एवं समय पर ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित कराने की संपूर्ण जिम्मेदारी वाहन मालिक की होगी।
7. प्रथम बार वाहन उपलब्ध कराते समय मासिक देयक के साथ वाहन का फिटनेस, वाहन टैक्सी के रूप में परिवहन विभाग से नियमानुसार पंजीकृत, वाहन का पंजीयन, रोड टैक्स एवं बीमा आदि के कागजात संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।
8. किराये पर लिए गए वाहन अच्छी स्थिति में नहीं पाये जाने पर तत्काल हटा दिया जायेगा एवं देयक का भुगतान रोक दिया जायेगा।
9. वाहन की लाग बुक प्रतिदिन अनिवार्य रूप से वाहन चालक को नियमानुसार भरना होगा एवं संबंधित अधिकारी से प्रतिदिन हस्ताक्षर लिया जाना होगा व माह अंत पश्चात् उस माह की लाग बुक की छायाप्रति संबंधित अधिकारी से हस्ताक्षरित कर कार्यालय में देयक के साथ जमा करना होगा जो कि शासकीय अभिलेख होगा।
10. वाहन किराया दर में सभी प्रकार के वैधानिक टैक्स सम्मिलित रहेंगे, परन्तु देयक में टैक्स का बायफरकेशन कर उल्लेख करना होगा।
11. देयक तीन प्रतियों में मय लाग बुक/लाग कार्ड के साथ उपयोगकर्ता अधिकारी के सत्यापन के एक सप्ताह के भीतर अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा। देयक का भुगतान संभावित अवधि में चेक/आर.टी.जी.एस के माध्यम से किया जायेगा। वाहन मालिक अन्य टैक्स/आयकर आदि भुगतान के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा। लाग बुक वाहन मालिक द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

12. वाहन रखने की अवधि का निर्धारण करने का अधिकार **प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड रायपुर** को होगा। छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड रायपुर द्वारा वाहन अनुबंध को 15 दिन पूर्व सूचना दिया जाकर बिना कोई कारण बताये निरस्त कर सकेगा व वाहन मालिक द्वारा भी 15 दिन पूर्व सूचना कर अपना वाहन हटाने का विकल्प होगा।
13. शर्तों का उल्लघंन करने पर वाहन को हटा दिया जायेगा एवं वाहन का किराया भी देय नहीं होगा।
14. निविदा दो पृथक–पृथक लिफाफों में प्रस्तुत करना होगा। एक लिफाफा टेक्निकल बिड का होगा जिसमें वाहन के दस्तावेज तथा वाहन का मॉडल एवं टैक्स, बीमा आदि के भुगतान संबंधी दस्तावेज तथा वाहन चालकों की सूची रहेगी तथा अमानत राशि के रूप में छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन के नाम से रायपुर में देय रू. 10,000/– का डिमाण्ड ड्राफ्ट निविदा प्रपत्र शुल्क रू. 354/– की पावती या डिमाण्ड ड्राफ्ट रहेगा। दूसरा लिफाफा फाईनेंशियल बिड का होगा, जिसमें निर्धारित प्रारूप में दरें होंगी। दोनों लिफाफों में सामने टेक्निकल बिड एवं फाईनेंशियल बिड लिखा रहेगा।
15. टेक्निकल बिड़ में सफल निविदाकारों का फाईनेशिंयल बिड़ खोला जायेगा। न्यूनतम दर वाले सफल निविदाकारको 15 दिन के अंदर अनुबंध सम्पादित करना होगा।
16. सफल निविदाकार द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले वाहन चालक का नाम एवं मोबाईल नंबर उपलब्ध कराया जावेगा तथा वाहन चाालक शिक्षित, यातायात नियमों का ज्ञान रखने वाला, व्यवहार कुशल हो एवं वाहन चालक के पास वैध लाईसेंस होना जरूरी होगा।
17. वाहनों को छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन द्वारा मासिक दर पर किराये पर लेने के समय यदि किसी भी प्रकार की दुर्घटना होती है, तो उसके लिए वाहन आपूर्तिकर्ता जिम्मेदार होगा।
18. यदि वाहन आपूर्तिकर्ता द्वारा उपलब्ध कराये गये वाहन चालक का कार्य के दौरान गुटखा, तम्बाखू, धूम्रपान, पान, मदिरा एवं अन्य अनियमित कार्य करते हुए पाये जाने पर तत्काल निविदा बिना किसी सूचना के समाप्त की जावेगी एवं अमानत राशि जब्त कर ली जावेगी।
19. मासिक दर पर वाहन चालक के साथ उपलब्ध कराये जाने वाले वाहन को छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन के माँग पर शासन द्वारा घोषित अवकाश (प्रत्येक माह के द्वितीय एवं तृतीय शनिवार सम्मिलित) पर भी उपलब्ध कराने हेतु बाध्य होगा। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो प्रत्येक वाहन पर राशि 1,500/– प्रतिदिन के हिसाब से दंडस्वरूप उस माह में प्रस्तुत किये जाने वाले देयक भुगतान में से काट ली जावेगी। यदि वाहन आपूर्तिकर्ता द्वारा उपलब्ध कराया गया वाहन, वाहन चालक के बिना उपलब्ध कराया जाता है तो प्रतिदिन के हिसाब से राशि 500/– उस माह में प्रस्तुत किये जाने वाले देयक भुगतान में से दंड स्वरूप काट ली जावेगी।
20. अनुबंध अवधि में यदि पेट्रोल/डीजल के दर/टैक्स/जीएसटी में वृद्धि होने पर बढ़े हुए दर के भुगतान का दायित्व आपूर्तिकर्ता की होगी।
21. तकनिकी रूप से सफल अन्य निविदाकार यदि निविदा में प्राप्त न्यूनतम दर पर वाहन उपलब्ध करवाये जाने पर सहमत हो तो उन्हे भी निविदा के अन्य शर्तो के अधीन कार्य आबंटित किया जा सकेगा।
22. वाहन किराये के संबंध में किसी भी प्रकार के विवाद होने पर अंतिम निपटारा प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन रायपुर द्वारा किया जायेगा। उनका निर्णय अंतिम एवं दोनों पक्षों को मान्य होगा।
23. निविदा दरें निविदा स्वीकृति का आदेश जारी करने की तिथि से एक वर्ष के लिए मान्य होगी, कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर निविदा अनुबंध अवधि पुनः एक वर्ष के लिए बढ़ाने का अधिकार प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन के पास सुरक्षित होगा।
24. निविदा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने, निविदा को किसी भी समय निरस्त करने का संपूर्ण अधिकार प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन रायपुर को होगा।
25. निविदा से संबंधित किसी भी विवाद के लिए न्यायालयीन क्षेत्र रायपुर होगा।

परिशिष्ट – अ

वाहन की निविदा हेतु तकनीकी शर्त
छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन रायपुर
(यह जानकारी पृथक लिफाफे में रखा जावे)
कंपनी द्वारा निम्नानुसार विस्तृत विवरण उपलब्ध कराया जावे

<table>
<tr><td>1</td><td>फर्म/कंपनी का नाम</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>2</td><td>फर्म/कंपनी का पता</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>3</td><td>मोबाईल नंबर</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>4</td><td>टेलीफोन नंबर (एसटीडी कोड सहित)</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>5</td><td>ई–मेल (संबंधित व्यक्ति का)</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">6</td><td rowspan="3">पेन नं./टेन नं. (दस्तावेज संलग्न करें।)</td><td colspan="6">☐ हाँ ☐ नहीं</td></tr>
<tr><td colspan="3">पेन नं.</td><td colspan="3">टेन नं.</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>7</td><td>परिवहन विभाग द्वारा प्राप्त ट्रेवल्स लाईसेंस (दस्तावेज संलग्न करें)</td><td colspan="3">☐ हाँ</td><td colspan="3">☐ नहीं</td></tr>
<tr><td>8</td><td>GST पंजीयन नंबर (दस्तावेज संलग्न करें)</td><td colspan="3">☐ हाँ</td><td colspan="3">☐ नहीं</td></tr>
<tr><td>9</td><td>धरोहर राशि</td><td colspan="6">रूपये 10,000/–
☐ हाँ ☐ नहीं</td></tr>
<tr><td rowspan="6">10</td><td rowspan="6">निविदाकार द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले वाहन का विवरण (निविदा तिथि से 03 वर्ष पुराने वाहन स्वीकार नहीं होगें, यदि वाहन उपलब्ध कराया जावेगा तो उल्लेख करें)</td><td>क्रं.</td><td colspan="2">वाहन का प्रकार</td><td colspan="3">वाहन का मॉडल वर्ष</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">11</td><td rowspan="6">क्रं. 10 में उल्लेखित वाहन के पंजीयन/रोड टैक्स/ बीमा/ परमिट फिटनेस संबधी (दस्तावेज संलग्न करें)</td><td>क्रं.</td><td>वाहन का पंजीयन क्रमांक</td><td>रोड टैक्स (हाँ/नहीं)</td><td>बीमा (हाँ/नहीं)</td><td>परमिट अवधि</td><td>फिटनेस अवधि</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>12</td><td>शासकीय अथवा निजी संस्थान द्वारा ब्लैक लिस्ट नहीं किये जाने तथा किसी प्रकार के लंबित आपराधिक प्रकरण पुलिस थाना सी.आई.डी., सी.बी.आई. में दर्ज नहीं होने संबंधी एकल शपथ पत्र।</td><td colspan="6">☐ हाँ ☐ नहीं</td></tr>
</table>

13	इस निविदा में शामिल होने से संबंधित जिम्मेदार व्यक्ति का नाम/पदनाम/पता/ मो.नं.	क्रं.	नाम	पदनाम	पता एवं मो. नं.
14	शासकीय/अर्द्धशासकीय/निगम/मंडल अंतर्गत वाहन परिचालन करने का न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव/कार्यादेश की कापी	☐ हाँ		☐ नहीं	

दिनांकः—..........................
स्थानः—...........................

(अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर)

नाम — ....

पदनाम — ....

कंपनी/फर्म का नाम — ....

कंपनी/फर्म का सील — ....

परिशिष्ट – ब

घोषणा –पत्र

1. यह कि हमारी संस्थान द्वारा प्रदाय की जाने वाली समस्त सेवाओं के लिये किसी भी संस्थान/व्यक्ति विशेष के द्वारा मुकदमेबाजी एवं आरोप नहीं लगाया गया है।
2. यह कि हमारी संस्थान को किसी भी राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/ भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा अपात्र (Blak List) सूचीबद्ध नहीं किया गया है।
3. निविदा में दर्शित समस्त नियम एंव शर्तों को हमारी संस्थान द्वारा मान्य किया जावेगा।

वाहन मालिक/फर्म का नाम

नाम – ....

पता – ....

....

मो. नं. – ....

(नोटः– उपरोक्त घोषणा पत्र में दर्शित नियम एवं शर्तों को निविदाकर्ता द्वारा राशि रू. 100/– के स्टॉम्प पेपर पर सहमति देना अनिवार्य होगा)

चेकलिस्ट

तकनीकी मूल्यांकन हेतु न्यूनतम योग्यताः–

1	निविदा में भाग लेने हेतु राशि 354 / –का डिमांड ड्राफ्ट या पावती संलग्न (वापसी योग्य नहीं)	☐
2	EMD के रूप में 10000 / – का डिमांड ड्राफ्ट संलग्न (वापसी योग्य)	☐
3	शासकीय / अर्द्धशासकीय / निगम / मंडल अंतर्गत वाहन परिचालन करने का न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव / कार्यादेश	☐
4	न्यूनतम वाहन संख्या (टैक्सी परमिट युक्त) – 3, परिवहन विभाग द्वारा जारी जीवित वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न	☐
5	निविदाकर्ता का कर विभाग द्वारा जारी किये गये GST पंजीयन प्रमाण–पत्र	☐
6	निविदाकर्ता का फर्म रायपुर शाखा से बैंक पासबुक या अन्य दस्तावेज की छायाप्रति संलग्न	☐
7	पैन नं. / टैन नं. दस्तावेजों की प्रति संलग्न	☐
8	100 / – के स्टॉम्प पेपर में घोषणा–पत्र संलग्न	☐

परिशिष्ट – ''स''

वाहन की निविदा हेतु वित्तीय बोली

छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन

(यह जानकारी पृथक लिफाफे में रखा जावें)

छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन हेतु मासिक वाहन (डीजल/पेट्रोल सहित) किराया दर मय ड्राईवर

क्र.	वाहनों का विवरण	किराया मासिक 2000 कि. मी. (सभी कर सहित)		अतिरिक्त किराया दर प्रति कि.मी.
		वाहन दर वाहन चालक सहित	वाहन दर बिना वाहन चालक के	
1	स्विफ्ट डिजायर, माजा, इटियास, आई–20 एवं समतुल्य वाहन			11
2	बेलेरो, इनोवा, बेरना, स्कार्पियो, मराजो एवं समतुल्य वाहन			13
3	क्रिस्टा, सफारी, टाटा हैक्सा, हारियर एवं समतुल्य वाहन			16

(दरे अंको के साथ – साथ शब्दो में अंकित करें)

घोषणा – पत्र

1. निविदा में दर्शित समस्त नियम एवं शर्तो को हमारी संस्थान द्वारा मान्य किया जावेगा।
2. प्रतिदिन एवं आधा दिन का किराया राज्य शिष्टाचार अधिकारी, छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा निर्धारित दरों पर देय होगा।
3. यह कि हमारी संस्थान से इस निविदा के तहत प्रदाय की जाने वाली समस्त सेवाओं के लिये किसी भी संस्थान/व्यक्ति विशेष के द्वारा मुकदमेबाजी एवं आरोप नही लगाया गया है।
4. यह कि हमारी संस्थान को किसी भी राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा अपात्र (Black List) सूचीबध्द नहीं किया गया है।

....

हस्ताक्षर
निविदाकार

नाम :................................
पदनाम :................................
कंपनी का नाम :................................
कंपनी का सील :................................